रिक्त / नवसृजित उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रक्रिया

Step 1: रिक्त दुकानों/ नवसृजित दुकानों का निर्धारण – जिला कलक्टर की सहमती से जिला रसद अधिकारी द्वारा किया जाता है।

Step 2: रिक्त दुकानों की सूचना जिला रसद कार्यालय से बनाई जाती है।

Step 3: नवसृजित दुकानों का निर्धारण ऑनलाइन आवन्टन की रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है। ऐसे दुकाने जिनका गेहूं आवंटन 200 Q से अधिक हो, को चिन्हित करके, अतिरिक्त नयी दुकान का सृजन किया जाता है। जिन्हें नए प्राधिकार पत्र जारी किये जाते है।

विभागीय निर्देश निम्नानुसार है-

1. विभागीय पत्र एफ 17(1)खा.वि./विधि/2008, दिनांक 07.04.2010 और एफ.17(9)खा.वि.विधि/2012 दिनांक 26.12.2019 के निर्देशानुसार द्वारा खाद्य सुरक्षा के 500 राशनकार्डों की संख्या अथवा खाद्य सुरक्षा की 2000 यूनिट के आधार पर नवीन दुकानों का सृजन कर उचित मूल्य दुकानों की नियमानुसार विज्ञप्ति जारी की जाती है।

   परन्तु यदि किसी दुकान पर 500 राशन कार्ड से कम हो तो उसकी समायोजन से पूर्ति कर निर्धारित 500 राशन कार्डो की संख्या अथवा 2000 यूनिट के आधार पर प्रत्येक दुकान का पुनर्निधारण किया जाकर रिक्तियों का निर्धारण किया जाता है।

   परन्तु यह भी कि आर्थिक दृष्टि से अवहनीय उचित मूल्य दुकानों और रिक्त दुकानों को विभिन्न कारणों से नवीन उचित मूल्य दुकान के रूप में आवंटित नहीं होने से समाहित (Merger) किये जाने के संबंध में निर्देश जारी है।

   परन्तु यह और कि ऐसी रिक्त उचित मूल्य दुकान जिनके प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय/अधीनस्थ न्यायलय/रिवीजन न्यायालय में विचाराधीन चल रहे हैं, उन दुकानों को न्यायालय के निर्णय से पूर्व रिक्त माना जाकर उन पर नई नियुक्ति की कार्यवाही नहीं की जाती है।

Step 4: रिक्त दुकानों/ नवसृजित दुकानों के निर्धारण के बाद विज्ञप्ति निकाली जाती है जिसका विज्ञापन अखबार में जारी किया जाता है और वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। आवेदन की तिथि निर्धारित की जाती है। विज्ञप्ति का प्रारूप अनेक्स्चर -1 है।

Step 5: आवेदन की निर्धारित तिथि तक रिक्त दुकानों/ नवसृजित दुकानों के आवेदन लिए जाते है। जिसका शुल्क 100/- रूपये निर्धारित है जो कि पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से लिया जाता है। आवेदन का प्रारूप अनेक्स्चर -2 है।

Step 6: निर्धारित अवधि में प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा सम्बंधित उपखंड के प्रवर्तन निरीक्षक के द्वारा की जाती है और आवेदन उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष जिला रसद अधिकारी के माध्यम से अस्वीकार अथवा स्वीकार करने की अभिशंषा के साथ अग्रेषित किया जाता है। संवीक्षा का प्रारूप अनेक्स्चर -3 है।

Step 7: जिला रसद अधिकारी के स्तर पर आवेदकों के चयन के लिए उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवेदक का साक्षात्कार किये जाने के लिए साक्षात्कार आयोजन की तिथि का निर्धारण का आदेश जारी किया जाता है। जारी किये जाने वाले आदेश का प्रारूप अनेक्स्चर - 4 है।

Step 8: तिथि निर्धारित करके आवंटन सलाहकार समिति सदस्यों और आवेदकों को नोटिस जारी किया जाता है। आवेदकों को जारी किये जाने वाले नोटिसों का प्रारूप अनेक्स्चर -5 और आवंटन सलाहकार समिति सदस्यों को भेजे जाने वाले पत्रों का प्रारूप अनेक्स्चर -6 है। SMS भी भेजे जाते है।

Step 9: निर्धारित तिथि को साक्षात्कार आयोजित किये जाते है। साक्षात्कार के समय आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों को आवेदक का फार्म, संवीक्षा रिपोर्ट और दस्तावेज अवलोकन के लिए रखा जाता है।

Step 10: साक्षात्कार के बाद बहुमत से आवेदक का चयन किया जाता है और बहुमत से चुने गए आवेदकों की सूची जिला रसद अधिकारी के द्वारा जिला कलक्टर को प्रस्तुत की जाती है। जिला कलक्टर द्वारा अनुमोदन के बाद चयनित आवेदकों की सूची का आदेश शर्तों के अधीन जारी किया जाता है। चयनित आवेदकों की सूची का आदेश प्रारूप अनेक्स्चर – 7 है।

Step 11: चयनित आवेदकों को चयन आदेश की शर्तों की पूर्ती 15 दिवस में करनी होती है परन्तु यदि आवेदक कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो तो इस आदेश के जारी होने की 08 माह की अवधि में कम्प्यूटर में Rajasthan Knowledge Corporation Limited (RKCL) या अन्य समकक्ष सरकारी संस्थान का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करने पर ही प्राधिकार पत्र जारी किया जाता है। प्राधिकार पत्र का प्रारूप अनेक्स्चर – 8 है। चयन आदेश की शर्तों की पूर्ती करने के बाद 15 दिवस में प्राधिकार पत्र जारी किया जाता है। प्राधिकार पत्र दुकानदार की 60 वर्ष की आयु तक ही वैध रहेगा।

Step 12: प्राधिकार पत्र के साथ उचित मूल्य दुकानदार को फोटोयुक्त परिचय पत्र जारी किया जाता है। परिचय पत्र का प्रारूप अनेक्स्चर – 9 है।

रिक्त और नवसृजित दुकानों को प्राधिकार पत्र जारी करने के कार्य विवरण और उनके सम्पादन की अवधी-

क्र.सं.	कार्य का विवरण	निर्धारित अवधि
1.	प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा सम्बंधित प्रवर्तन निरीक्षक के द्वारा किया जाना	आवेदन की अंतिम तिथि के 15 दिवस में।
2.	साक्षात्कार की तिथि का निर्धारण किया जाना	आवेदन की अंतिम तिथि के 15 दिवस में।
3.	साक्षात्कार के बाद सफल अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन करना	साक्षात्कार की तिथि के बाद तीन दिन में।
4.	सफल अभ्यर्थी के प्रतिभूति राशि जमा कराना	चयन आदेश जारी होने की दिनांक से अधिकतम 15 दिवस
5.	सफल अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तावित दुकान का सत्यापन करवाया जाना और किया जाना	चयन आदेश जारी होने की दिनांक से अधिकतम 7 दिवस
6.	सफल अभ्यर्थी को उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र जारी करना। परन्तु कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो तो इस आदेश के जारी होने की 08 माह की अवधि में	प्रतिभूति राशि जमा कराने की तारीख से अधिकतम 15 दिवस
7.	उचित मूल्य दुकानदार द्वारा वितरण कार्य प्रारंभ करना	प्राधिकार प्राप्त करने की तिथि से अधिकतम एक माह

मृतक डीलर के आश्रित को अनुकम्पात्मक उचित मूल्य दुकान का आवंटन

2. उचित मूल्य दुकानदार की मृत्यु होने पर उसके परिवार के निम्न सदस्यों में से किसी एक को निम्न वरीयता क्रम में दुकान आवंटित कर मृतक को जारी प्राधिकार-पत्र में संशोधन किया जाता है।
   i. मृतक की विधवा
   ii. बालिग पुत्र/ दत्तक पुत्र जो मृतक पर आश्रित हो
   iii. विधवा पुत्रवधु जो मृतक पर आश्रित हो
   iv. अविवाहित पुत्री/ दत्तक अविवाहित पुत्री/विधवा पुत्री

क्र.सं.	कार्य का विवरण	निर्धारित अवधि
1.	कार्यरत प्राधिकार पत्रधारी डीलर की 60 वर्ष की उम्र तक यदि मृत्यु होने पर उसके मान्य विधिक उत्तराधिकारी द्वारा आवेदन किया जाना।	मृत्यु दिनांक से 90 दिवस की अवधि में आवेदन
2.	प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा सम्बंधित प्रवर्तन निरीक्षक के द्वारा किया जाना	
3.	आवेदन सही पाए जाने पर उचित मूल्य दुकानदार के प्राधिकार पत्र का संशोधन किया जाना।	
4.	उचित मूल्य दुकानदार द्वारा वितरण कार्य प्रारंभ करना	

अनेक्स्चर -1

<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्य में उचित मूल्य की रिक्त एवं नवसृजित दुकानों के लिए इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड 3(1) के तहत प्राधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।
जिला .... में रिक्त एवं नवसृजित उचित मूल्य दुकान निम्नानुसार है:-

शहरी

क्रम संख्या	नाम उपखंड	नाम स्थानीय निकाय	दुकान का वार्ड /दुकान का वितरण केंद्र	नवसृजित /रिक्त	नवसृजन/रिक्ति का कारण	वितरण क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण

ग्रामीण

नाम उपखंड	नाम तहसील	नाम ब्लॉक	पंचायत	ग्राम का नाम /दुकान का वितरण केंद्र	नवसृजित /रिक्त	नवसृजन/रिक्ति का कारण	वितरण क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण

उक्त रिक्त एवं नवसृजित उचित मूल्य दुकान के लिए ऑनलाइन आवेदन www. .... पर दिनांक _ _/_ _/ _ _ _ _ तक कर सकेंगे। उपरोक्त रिक्तियों के संबंध में विभागीय पत्र क्रमांक एफ 17(1)खा.वि./विधि/08 दिनांक 17.03.2016 और समय-समय पर जारी संशोधन आदेश 06.04.2016, 26.04.2016, 22.07.2016, 04.07.2017, 26.09.2017, 28.09.2018, 29.07.2019, 14.11.2019 और 26.12.2019 के द्वारा जारी उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के दिशा-निर्देशों में वर्णित चयन प्रक्रियानुसार कार्यवाही की जायेगी। पत्र क्रमांक 17.03.2016 और समय-समय पर जारी संशोधन आदेश के संबंध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट food.rajasthan.gov.in पर तथा संबंधित जिला रसद कार्यालयों में अवलोकन हेतु उपलब्ध है।
उक्त रिक्तियों की संख्या में कमी/बढ़ोतरी/संशोधन विभाग द्वारा किया जा सकता है तथा रिक्तियों को भरने/ना भरने के संबंध में विभाग का निर्णय सुरक्षित रहेगा।

जिला कलक्टर
[Dsitrict Name]

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. शासन सचिव महोदय, खाद्य विभाग राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त खाद्य आयुक्त महोदय, खाद्य विभाग, सचिवालय, जयपुर।

4. माननीय जिला प्रमुख, जिला परिषद..........।
5. संभागीय आयुक्त, ...।
6. जिला रसद अधिकारी, ...।
7. जन सम्पर्क अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. जिला जन संपर्क अधिकारी, जिला ....।
9. प्रोग्रामर डीओआईटी, जिला कलेक्ट्रेट .... को कलेक्ट्रेट की वेब साईट पर अपलोड के लिए।
10. प्रोग्रामर डीओआईटी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर को की वेब साईट पर अपलोड के लिए।
11. समस्त उपखंड अधिकारी, जिला .... को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने के लिए।
12. समस्त विकास अधिकारी, जिला .... को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने के लिए।
13. समस्त प्रवर्तन स्टॉफ कार्यालय हाजा।

अनेक्स्चर -2

आवेदक का पासपोर्ट साइज़

आवेदन पत्र का मूल्य - रूपये **100/-** **<u>प्ररूप ''क''</u>**

राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976

(खण्ड 3 (3) देखिये)

प्राधिकृत उचित मूल्य दुकान के लिये प्राधिकार हेतु आवेदन

रिक्त दुकान के केंद्र का विवरण जिसकी नियुक्ति हेतु आवेदन किया है-

ग्रामीण क्षेत्र होने पर

उचित मूल्य दुकान संख्या.......

उचित मूल्य दुकान पोस संख्या ....

राजस्व ग्राम........

ग्राम पंचायत ....

जिला...........................

शहरी क्षेत्र होने पर

उचित मूल्य दुकान संख्या ....

उचित मूल्य दुकान पोस संख्या ....

वार्ड संख्या ....

नाम नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम

जिला...........................

1. <u>आवेदक का विवरण-</u>

आवेदक का नाम [Name]

पिता/पति का नाम ....

जन्म तिथि [DD/MM/YYYY] उम्र [Auto]

सभी श्रेणी के आवेदकों की आयु 21 से 45 वर्ष तक होनी चाहिए अर्थात उचित मूल्य दुकान के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि को आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिये। (उम्र के प्रमाण हेतु दसवी की अंक तालिका/प्रमाण पत्र या अन्य अंक तालिका/प्रमाण पत्र जिसमे जन्म तिथि अंकित हो या पासपोर्ट/मतदाता पहचान पत्र/ ड्राईविंग लाईसेन्स/आधार कार्ड/पेन कार्ड में से किसी एक की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जा सकती है)

आवेदक की जाति [Cast Name]

यदि प्रथम वरीयता (संस्थागत) में आवेदन किया है तो संस्था में आवेदक की हैसियत - [Drop Down]

अध्यक्ष

उपाध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

निदेशक

सदस्य

प्रबंधक
क्या संस्था या निगमित निकाय के द्वारा आवेदक के नाम आवेदन करने हेतु प्रस्ताव पत्र जारी है?..

2. <u>जाति का वर्ग – [Drop Down]</u>

सामान्य
अनुसूचित जाति
अनुसूचित जनजाति
अन्य पिछ्डा वर्ग
विशेष पिछ्डा वर्ग
अन्य

(i) जनजाति उपयोजना के अनुसूचित क्षेत्रों की उचित मूल्य दुकानों में 45 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित जनजातियों एवं 5 प्रतिशत अनुसचित जातियों के स्थानीय सदस्यों के अभ्यर्थियों से भरी जावेगी। इन क्षेत्रों में शेष 50 प्रतिशत रिक्तियां अनारक्षित वर्ग से भरी जावेगी।

(ii) बारां जिले की किशनगंज एवं शाहबाद तहसील क्षेत्रों की उचित मूल्य दुकानों में से 45 प्रतिशत दुकानें स्थानीय सहरिया आदिम जाति के आवेदकों को एवं 5 प्रतिशत स्थानीय अनुसूचित जाति के आवेदकों को आवंटित की जावेगी।

3. <u>आवेदक का पता (निवास)</u>

मकान संख्या [Number]
मौहल्ला/कॉलोनी [Name]
ग्राम/क़स्बा [Name]
वार्ड संख्या [Number]
ग्राम पंचायत/शहरी निकाय का नाम [Drop Down]
जिला [Drop Down]
मोबाईल नंबर- 1 (जो कि आधार से संयोजित हो) [Number]
मोबाईल नंबर- 2 [Number]
ई-मेल पता ....

शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान हेतु आवेदक के मामले में आवेदक उसी वॉर्ड का निवासी होना चाहिए, जिस वॉर्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करनी है अर्थात् उस उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित वॉर्डों में से किसी एक वॉर्ड का निवासी होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान के मामलों में आवेदक उसी पंचायत के किसी भी ग्राम या वॉर्ड का निवासी होना आवश्यक है, जिस पंचायत में उचित मूल्य दुकान स्थित है। (उचित मूल्य दुकान के क्षेत्र में निवासी होने के संबंध में प्रमाण पत्र स्वरूप राशन कार्ड/वोटर लिस्ट/मूल निवास/निर्वाचन आयोग का परिचय पत्र/आधार कार्ड/भामाशाह कार्ड की प्रति में से कोई एक प्रस्तुत की जा सकती है)

4. <u>आवेदक की प्राथमिकता श्रेणी</u> [Radio Button]

(क) प्रथम वरीयता (संस्थागत)
(i) सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थाएं
ग्राम सेवा सहकारी समिति

लैम्पस (वृहतर क्षेत्रीय बहुउद्देशीय सहकारी समिति)
दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति
(ii) महिला स्वयं सहायता समूह
(iii) **ग्राम पंचायत**
निगमित निकाय
(ख) द्वितीय वरीयता व्यक्तिगत/स्वत्वधारी
1. बेरोजगार
(i) निःशक्तजन
दिव्यांग होने के प्रमाण पत्र का विवरण
(ii) महिलायें
(क) शहीद की विधवा (वीरांगना)
(ख) विधवा
(ग) परित्यक्ता
2. भूतपूर्व सैनिक
3. अन्य पात्र बेरोजगार

सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थाएं सलेक्ट करने पर निम्न फील्ड एक्टिव करने है-
नाम संस्था (विधान के अनुसार) [Name]
संस्था का पंजीकरण संख्या (सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत) [Number]
पंजीकृत कार्यालय (विधान के अनुसार) [Address with all fields]
संस्था का कार्यक्षेत्र (विधान के अनुसार) [Paragraph Description]
उचित मूल्य मूल्य दुकान चलाने के लिए लिये गये प्रस्ताव की दिनांक [DD/MM/YYYY]
वर्तमान में संस्था द्वारा किए जा रहे व्यवसाय का स्वरुप एवं विवरण : [Paragraph Description]

संस्था की पूंजी का विवरण ::
अंश पूंजी : रु. [Number]
कार्यशील पूंजी : रु. [Number]
वार्षिक टर्नओवर : रु. [Number]
संस्था के बैंक खाते का विवरण ::
वित्तीय खाता नंबर : [Number]
ब्रांच : [Name]
आई एँफ़ एस सी कोड : [Alpha Numeric Number]

अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक की जानकारी ::
नाम : [Name]
पिता / पति का नाम : [Name]
जन्म दिनांक : [DD/MM/YYYY]
निवास का पता : [Address]
मोबाइल नंबर : [Number]
आधार नंबर : [Number]
कोई आपराधिक प्रकरण है तो उसका विवरण दे :

(ii) महिला स्वयं सहायता समूह

[सलेक्ट करने पर निम्न फील्ड एक्टिव करने है-]

नाम संस्था (विधान के अनुसार) [Name]
संस्था का पंजीकरण संख्या (सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत) [Number]
समूह का गठन कम से कम तीन वर्ष पूर्व का हो।
पंजीकृत कार्यालय (विधान के अनुसार) [Address with all fields]
संस्था का कार्यक्षेत्र (विधान के अनुसार) [Paragraph Description]
उचित मूल्य मूल्य दुकान चलाने के लिए लिये गये प्रस्ताव की दिनांक [DD/MM/YYYY]
वर्तमान में संस्था द्वारा किए जा रहे व्यवसाय का स्वरुप एवं विवरण : [Paragraph Description]

संस्था की पूंजी का विवरण ::
अंश पूंजी : रु. [Number]
कार्यशील पूंजी : रु. [Number]
वार्षिक टर्नओवर : रु. [Number]

संस्था के बैंक खाते का विवरण :
वित्तीय खाता नंबर : [Number]
ब्रांच : [Name]
आई ऍफ़ एस सी कोड : [Alpha Numeric Number]
विगत दो वित्तीय वर्ष व चालू वर्ष के बेंक खाते का स्टेटमेंट की प्रति संलग्न करनी है।

अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक की जानकारी ::
नाम : [Name]
पिता / पति का नाम : [Name]
जन्म दिनांक : [DD/MM/YYYY]
निवास का पता : [Address]
मोबाइल नंबर : [Number]
आधार नंबर : [Number]
कोई आपराधिक प्रकरण है तो उसका विवरण दे : [Paragraph Description]

(iii) **ग्राम पंचायत**
[सलेक्ट करने पर निम्न फील्ड एक्टिव करने है-]
नाम ग्राम पंचायत [Name by Drop Down]
ग्राम सभा में उचित मूल्य मूल्य दुकान चलाने के लिए गए प्रस्ताव की दिनांक [DD/MM/YYYY]
सरपंच/सचिव/प्रबंधक की जानकारी ::
नाम : [Name]
पिता / पति का नाम : [Name]
जन्म दिनांक : [DD/MM/YYYY]
निवास का पता : [Address]
मोबाइल नंबर : [Number]
आधार नंबर : [Number]
कोई आपराधिक प्रकरण है तो उसका विवरण दे : [Paragraph Description]

वर्तमान में संस्था द्वारा किए जा रहे व्यवसाय का स्वरुप एवं विवरण : [Paragraph Description]
संस्था की पूंजी का विवरण ::
अंश पूंजी : रु. [Number]
कार्यशील पूंजी : रु. [Number]
वार्षिक टर्नओवर : रु. [Number]
संस्था के बैंक खाते का विवरण ::
वित्तीय खाता नंबर : [Number]
ब्रांच : [Name]
आई एॅफ़ एस सी कोड : [Alpha Numeric Number]

निगमित निकाय
[सलेक्ट करने पर निम्न फील्ड एक्टिव करने है-]
नाम निकाय [Name]
निकाय में उचित मूल्य मूल्य दुकान चलाने के लिए गए प्रस्ताव की दिनांक [DD/MM/YYYY]
प्रबंधक की जानकारी ::
नाम : [Name]
पिता / पति का नाम : [Name]
जन्म दिनांक : [DD/MM/YYYY]
निवास का पता : [Address]
मोबाइल नंबर : [Number]
आधार नंबर : [Number]
कोई आपराधिक प्रकरण है तो उसका विवरण दे : [Paragraph Description]

वर्तमान में संस्था द्वारा किए जा रहे व्यवसाय का स्वरुप एवं विवरण : [Paragraph Description]
संस्था की पूंजी का विवरण ::
अंश पूंजी : रु. [Number]
कार्यशील पूंजी : रु. [Number]
वार्षिक टर्नओवर : रु. [Number]
संस्था के बैंक खाते का विवरण ::
वित्तीय खाता नंबर : [Number]
ब्रांच : [Name]
आई एॅफ़ एस सी कोड : [Alpha Numeric Number]

(ख) द्वितीय वरीयता व्यक्तिगत/स्वत्वधारी
1. बेरोजगार
(i) निःशक्तजन
दिव्यांग होने के प्रमाण पत्र का विवरण
(ii) महिलायें
(क) शहीद की विधवा (वीरांगना)
(ख) विधवा
(ग) परित्यक्ता
2. भूतपूर्व सैनिक
3. अन्य पात्र बेरोजगार

5. आवेदक की शैक्षणिक योग्यता एवं कम्प्यूटर शिक्षा में जानकारी का विवरण -

क्रम संख्या	शैक्षणिक योग्यता	विषय/कोर्स	नाम बोर्ड/युनिवर्सिटी/संस्था	उत्तीर्ण वर्ष	प्राप्तांक प्रतिशत
	SSC / 10th /				
	HSC / 12th /				
	Graduation				
	Post graduation				
	[Add+]				

शैक्षणिक योग्यता सामान्य रूप से स्नातक उत्तीर्ण एवं कम्प्यूटर में न्यूनतम जानकारी राजस्थान नॉलेज कार्पोरेशन लिमिटेड (आर०के०सी०एल०) या अन्य समकक्ष संस्थान का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण होना चाहिए। यदि आवेदक कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो तो आवेदन के साथ आवेदक यह शपथ-पत्र देगा कि वह चयनित होने के 08 माह की अवधि में प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा व ऐसे चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण के बाद प्राधिकार पत्र दिया जावेगा। आवेदक समितियों/समूह निकाय होने पर सम्बंधित अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक को कम्प्यूटर दक्षता एवं शैक्षणिक योग्यताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस बाबत प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

6. आवेदक के परिवार सदस्य/संतान विवरण-

क्र. सं.	नाम परिवार सदस्य /संतान	आवेदक से संबंध	लिंग महिला/ पुरुष/ ट्रांसजेंडर (विपरीत लिंग)	जन्म दिनांक DD/MM/YYYY	व्यवसाय	यूनिक आईडी (UID)/आधार क्रमांक	निर्वाचित जनप्रतिनिधि
1	2	3	4	5	6	7	8

1. *आवेदक स्वयं अथवा आवेदक की पत्नी/पति निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं होना चाहिए।*
2. *उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरूष/महिला के दिनांक 01-01-2015 के बाद पैदा हुई संतान सहित दो से अधिक संतान नही होनी चाहिये। दिनांक 01-01-2015 के पश्चात दो से अधिक संतान होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति आवेदन का पात्र नही होगा।*

7. आवेदित उचित मूल्य दुकान हेतु प्रस्तावित दुकान का विवरण -

प्रस्तावित दुकान के स्वामित्व का प्रकार - [Drop Down]
स्वयं की
किराये की
प्रस्तावित दुकान का पता-
मकान संख्या [Number]
मौहल्ला/कॉलोनी [Name]
ग्राम/क़स्बा [Name]
वार्ड संख्या [Number]
ग्राम पंचायत/शहरी निकाय का नाम [Drop Down]
जिला [Drop Down]

दुकान का विवरण

दुकान की लम्बाई : [number] फीट में
दुकान की चौड़ाई : [number] फीट में
दुकान का क्षेत्रफल : [number] वर्ग फीट में
दुकान की छत की उंचाई : [number] फीट में
दुकान के सामने सड़क के चौड़ाई : [number] फीट में

प्रस्तावित दुकान 30 फिट सड़क पर स्थित होकर न्यूनतम 200 वर्गफीट की होना तथा दुकान का द्वार/शटर न्यूनतम 10 फिट गुणा 10 फिट का होना आवश्यक है।

8. वित्तीय स्त्रोत के सम्बन्ध में हैसियत प्रमाण पत्र का विवरण-

क्रमांक [Number] जारी किये जाने की दिनांक [DD/MM/YYYY]
(हैसियत का प्रमाण पत्र छः माह से अधिक पुराना होने पर मान्य नहीं होगा)
जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम [Post Name]
हैसियत प्रमाण पत्र की राशी रु. [Number]

संबंधित तहसीलदार द्वारा आवेदक के संबंध में जारी न्यूनतम 1,00,000/- रूपये का मूल हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावेगा। (हैसियत का प्रमाण पत्र छः माह से अधिक पुराना होने पर मान्य नहीं होगा)
समिति, जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं, को, हैसियत प्रमाण पत्र के स्थान पर समूह की वित्तीय हैसियत के सम्बन्ध में उनकी अंश पूंजी का विवरण, कार्यशील पूंजी का विवरण, वार्षिक कुल राशि का विवरण एवं विगत दो वित्तीय वर्ष व चालू वर्ष के बैंक खाते का स्टेटमेंट की प्रति मय सहायक पंजीयक/उप पंजीयक की यह अभिशंषा संलग्न करनी होगी कि समिति की वित्तीय हैसियत 1,00,000/- रूपये है और समिति की गत तीन संपरीक्षा (ओडिट रिपोर्ट) में गंभीर अनियमितता नहीं है।

9. क्या आवेदक के घर में कार्यशील शौचालय (functional toilet) है?

10. क्या आवेदक के दिनांक 01-01-2015 के बाद पैदा हुई संतान सहित दो से अधिक संतान है?

11. क्या आवेदक स्वयं अथवा उसका जीवन साथी (पत्नी/पति) वर्तमान में निर्वाचित जनप्रतिनिधि है?

12. आवेदक (संस्थागत/स्वत्वधारी) को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन किसी अपराध के लिए दण्डित किया गया हो तो उसका विवरण-

13. आवेदक (संस्थागत/स्वत्वधारी) को पूर्व में जारी उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र गम्भीर अनियमितताओ के कारण निरस्त किया जाने का विवरण-

14. आवेदक के परिवार के किसी सदस्य के नाम यदि कोई उचित मूल्य की दूकान आवंटित हो तो उसका विवरण

15. क्या उक्त संस्था या निगमित निकाय के द्वारा पहले से ही खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक पदार्थों का आदेश 1976 के अंतर्गत वितरण कार्य किया जा रहा है? यदि हाँ तो किस स्थान पर? ....

16. क्या ऊपर वर्णित परिसरों में आवेदक/संस्था खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग द्वारा जारी की गई कोई अन्य अनुज्ञप्ति धारित करता है? यदि ऐसा है, तो उसका पूर्ण विवरण दें ....

आवेदक के हस्ताक्षर

<u>घोषणा</u>

(जो लागू नहीं हो वह काट दें।)

1. यह है कि मैने राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत प्राधिकार पत्र प्राप्त करने हेतु प्रारूप “क” में आवेदन किया है जिसके समस्त भरे गये बिंदु सत्य है। मैने/हमने उक्त आदेश, 1976 के उपबन्धों को सावधानीपूर्वक पढ लिया है और मैं/हम उक्त आदेश के उपबन्धों तथा समय-समय पर तदधीन जारी दिशा निर्देशों का पालन करूँगा/करेगें।

2. यह है कि मै/संस्था आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन किसी अपराध के लिए पूर्व में दण्डित नहीं किया गया हूँ।

3. यह है कि मेरा/संस्था का पूर्व में उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र गम्भीर अनियमितताओ के कारण निरस्त नही हुआ है।

4. यह है कि परिवार के किसी सदस्य यथा-माता, पिता, अविवाहित पुत्री, आश्रित पुत्र, माता-पिता पर आश्रित बालिग पुत्र के नाम पूर्व से कोई दुकान नहीं है।

5. यह है कि मेरे पास राजस्थान नॉलेज कार्पोरेशन लिमिटेड (आर०के०सी०एल०) या अन्य समकक्ष संस्थान का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण है या नहीं है, किन्तु मै यह प्रशिक्षण चयनित होने के 08 माह की अवधि में प्राप्त कर लूँगा/लूंगी। मुझे यह भी ज्ञात है कि यह प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त ही प्राधिकार पत्र जारी किया जायेगा।

6. यह है कि मेरी दिनांक 01-01-2015 क़े बाद पैदा हुई संतान सहित दो से अधिक संतान नही है। मुझे यह भी ज्ञात है कि यदि उचित मूल्य दुकान आवंटन होने के बाद यदि दिनांक 01-01-2015 के पश्चात मेरी दो से अधिक संतान होगी तो ऐसा होने की स्थिति में प्राधिकार पत्र निरस्त हो जायेगा।

7. यह है कि मै स्वयं अथवा मेरी पत्नी/मेरे पति वर्तमान में निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं है।

8. यह कि मै बालिग एवं स्वस्थ चित हूँ तथा दिवालिया घोषित नहीं हुआ हूँ या संस्था दिवालिया घोषित नहीं है।

9. यह कि मुझे/संस्था को विधिक रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

10. यह कि मेरे द्वारा प्राधिकार पत्र हेतु प्रस्तुत संलग्न आवेदन पत्र में अंकित समस्त तथ्य एवं प्रस्तुत सूचनाये/दस्तावेज सही है और कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है।

11. यह कि उचित मूल्य दुकान का आवंटन होने पर मैं/संस्था दुकान का संचालन स्वयं करूँगा/करूंगी।

12. यह कि मुझे यह भी ज्ञात है कि द्वितीय वरीयता के अन्तर्गत चयनित उचित मूल्य दुकानदार की कार्य करने की अधिकतम उम्र 60 वर्ष है। मै 60 वर्ष की उम्र होने पर प्राधिकार पत्र समर्पित कर दूँगा।

13. यह मेरी जानकारी में है कि गलत सूचनाये देना एवं ऐसा साबित होना आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन दण्डनीय अपराध है।

मैं/हम घोषणा करते हैं कि मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार उपर्युक्त विशिष्टियाँ सही हैं और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। मेरी/हमारी द्वारा दी गयी सूचनायें गलत पाये जाने पर आवेदन/उचित मूल्य दुकान का आवंटन रद्द करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।

संलग्न दस्तावेजों के पृष्ठों की कुल संख्या......................

दिनांक................ आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक संस्था/निगमित निकाय होने पर अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक के हस्ताक्षर भी मय सील अंकित किये जाने है।

अध्यक्ष सचिव प्रबंधक

आवेदक की योग्यताएं एवं शर्ते

आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में होगा, जिस पर आवेदनकर्ता का छाया चित्र लगा होगा तथा एक छाया चित्र अलग से आवेदन के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र केवल संबंधित जिला रसद कार्यालय से जारी किये जायेंगे। अन्य किसी स्थान यथा टाईपिस्ट, नोटेरी बुक स्टोर से प्राप्त किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेंगे। एक आवेदन पत्र का मूल्य 100/- रूपये निर्धारित है। जिला रसद कार्यालय से आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क का डीड़ी अथवा भारतीय पोस्टल आर्डर जमा कराया जाकर प्राप्त किये जा सकेगें।

1. **शहरी क्षेत्र** की उचित मूल्य की दुकान हेतु आवेदक के मामले में आवेदक उसी वॉर्ड का निवासी होना चाहिए, जिस वॉर्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करनी है अर्थात् उस उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित वॉर्डों में से किसी एक वॉर्ड का निवासी होना चाहिए। **ग्रामीण क्षेत्र** की उचित मूल्य दुकान के मामलों में आवेदक उसी पंचायत के किसी भी ग्राम या वॉर्ड का निवासी होना आवश्यक है, जिस पंचायत में उचित मूल्य दुकान स्थित है। (उचित मूल्य दुकान के क्षेत्र में निवासी होने के संबंध में प्रमाण पत्र स्वरूप राशन कार्ड/वोटर लिस्ट/मूल निवास/निर्वाचन आयोग का परिचय पत्र/आधार कार्ड/भामाशाह कार्ड की प्रति में से कोई एक प्रस्तुत की जा सकती है)

2. सभी श्रेणी के आवेदकों की आयु 21 से 45 वर्ष तक होनी चाहिए अर्थात उचित मूल्य दुकान के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि को आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिये। (उम्र के प्रमाण हेतु दसवी की अंक तालिका/प्रमाण पत्र या अन्य अंक तालिका/प्रमाण पत्र जिसमे जन्म तिथि अंकित हो या पासपोर्ट/मतदाता पहचान पत्र/ ड्राईविंग लाईसेन्स/आधार कार्ड/पेन कार्ड में से किसी एक की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जा सकती है)

3. शैक्षणिक योग्यता सामान्य रूप से स्नातक उत्तीर्ण एवं कम्प्यूटर में न्यूनतम जानकारी राजस्थान नॉलेज कार्पोरेशन लिमिटेड (आर०के०सी०एल०) या अन्य समकक्ष संस्थान का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण होना चाहिए। यदि आवेदक कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो तो आवेदन के साथ आवेदक यह शपथ-पत्र देगा कि वह चयनित होने के 08 माह की अवधि में प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा व ऐसे चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण के बाद प्राधिकार पत्र दिया जावेगा। आवेदक समितियों/समूह निकाय होने पर सम्बंधित अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक को कम्प्यूटर दक्षता एवं शैक्षणिक योग्यताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस बाबत प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

4. आवेदक स्वयं अथवा आवेदक की पत्नी/पति निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं होना चाहिए।

5. उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरूष/महिला के दिनांक 01-01-2015 क़े बाद पैदा हुई संतान सहित दो से अधिक संतान नही होनी चाहिये। दिनांक 01-01-2015 क़े पश्चात दो से अधिक संतान होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति आवेदन का पात्र नही होगा।

6. प्रस्तावित दुकान का नक्शा साईट प्लान तथा रूट प्लान के साथ सही माप में दर्शा कर तीन प्रति में स्वप्रमाणित करके प्रस्तुत किया जावेगा। नक़्शे में प्रस्तावित दुकान के आगे-पीछे व दायें-बायें स्थित भवनों/स्थानों/भूमि/सडक का स्पष्ट विवरण दिशा ज्ञान के साथ अंकित किया जाना है। प्रस्तावित दुकान किराये की होने पर अनुबंध की प्रति/स्वयं की होने पर पट्टे की प्रति स्वप्रमाणित कर संलग्न की जावे। दुकान केन्द्रीय स्थल पर स्थित हो, ताकि उपभोक्ता आसानी से पहुँच सके। प्रस्तावित दुकान सुरक्षा एवं यातायात के साधन क दृष्टिकोण से सही स्थान पर होना चाहिए। आवेदक को प्रस्तावित दुकान के संबंध में अन्नपूर्णा भण्डार हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने होगें जिस हेतु प्रस्तावित दुकान 30 फिट

सड़क पर स्थित होकर न्यूनतम 200 वर्गफीट की होना तथा दुकान का द्वार/शटर न्यूनतम 10 फिट गुणा 10 फिट का होना आवश्यक है।

7. संबंधित तहसीलदार द्वारा आवेदक के संबंध में जारी न्यूनतम 1,00,000/- रूपये का मूल हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावेगा। (हैसियत का प्रमाण पत्र छ: माह से अधिक पुराना होने पर मान्य नहीं होगा)

8. उचित मूल्य दुकान प्राधिकार पत्र धारी जिनके विरूद्ध गंभीर अनियमितताएँ पाये जाने पर गत 10 वर्षों में प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया हो, तो ऐसे आवेदकों को कभी भी उचित मूल्य दुकान आवंटित नहीं की जावेगी।

9. चयन के प्राथमिकता क्रम -

<u>**प्रथम वरीयता**</u> (ii) ग्राम सेवा सहकारी समिति, लेम्पस (वृहतर क्षेत्रीय बहुद्देशीय सहकारी समिति), दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति, जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं, (iii) "महिला स्वयं सहायता समूह; जो, राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त है तथा न्यूनतम 3 वर्ष कार्य का अनुभव हो, (iiii) निगमित निकाय

- यदि आवेदक महिला स्वयं सहायता समूह है तो, आवेदन पत्र के साथ संस्था का विधान पत्र तथा आवेदक के नाम आवेदन करने हेतु जारी प्रस्ताव पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी। उप निदेशक/सहायक निदेशक, महिला बाल विकास से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त होने का प्रमाण पत्र मय, तीन संपरीक्षा (ऑडिट रिपोर्ट) में गम्भीर अनियमितता नहीं होने का प्रमाण पत्र तथा समूह की वित्तीय हैसियत के संबंध में उनकी अंश पूंजी विवरण, कार्यशील पूंजी विवरण तथा वार्षिक कुल राशि का विवरण एवं विगत दो वित्तीय वर्ष व चालू वर्ष के बेंक खाते का स्टेटमेंट की प्रति मय उप निदेशक/सहायक निदेशक की अभिशंषा संलग्न करनी होगी।

- यदि आवेदक सहकारी समितियां है जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो तो, आवेदन पत्र के साथ संस्था का विधान पत्र तथा आवेदक के नाम आवेदन करने हेतु जारी प्रस्ताव पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी। सहायक पंजीयक/उप पंजीयक से मान्यता प्राप्त होने का प्रमाण पत्र मय, तीन संपरीक्षा (ऑडिट रिपोर्ट) में गम्भीर अनियमितता नहीं होने का प्रमाण पत्र तथा समूह की वित्तीय हैसियत के संबंध में उनकी अंश पूंजी विवरण, कार्यशील पूंजी विवरण तथा वार्षिक कुल राशि का विवरण एवं विगत दो वित्तीय वर्ष व चालू वर्ष के बेंक खाते का स्टेटमेंट की प्रति मय सहायक पंजीयक/उप पंजीयक की अभिशंषा संलग्न करनी होगी।

<u>**द्वितीय वरीयता व्यक्तिगत**</u> (प्रथम वरीयता में आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर) (i1) नि:शक्त जन (i2) महिलायें (i) शहीद की विधवा, (वीरांगना), (ii) विधवा, (iii) परित्यक्ता (3) भूतपूर्व सैनिक, (4) बेरोजगार

- नि:शक्त जन को स्वास्थ्य विभाग का प्रमाण पत्र या समाज कल्याण विभाग का प्रमाण पत्र, वीरांगना को सेना द्वारा जारी प्रमाण पत्र, विधवा व परित्यक्ता को सम्बंधित विभाग का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक को सेना से डिस्चार्ज होने का प्रमाण पत्र तथा बेरोजगार को एम्प्लोयमेंट एक्स्चेंज का पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी।

(i) जनजाति उपयोजना के अनुसूचित क्षेत्रों की उचित मूल्य दुकानों में 45 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित जनजातियों एवं 5 प्रतिशत अनुसचित जातियों के स्थानीय सदस्यों के अभ्यर्थियों से भरी जावेगी। इन क्षेत्रों में शेष 50 प्रतिशत रिक्तियां अनारक्षित वर्ग से भरी जावेगी।

(ii) बारां जिले की किशनगंज एवं शाहबाद तहसील क्षेत्रों की उचित मूल्य दुकानों में से 45 प्रतिशत दुकानें स्थानीय सहरिया आदिम जाति के आवेदकों को एवं 5 प्रतिशत स्थानीय अनुसूचित जाति के आवेदकों को आवंटित की जावेगी। ।

10. द्वितीय वरीयता के अन्तर्गत चयनित उचित मूल्य दुकानदार की कार्य करने की अधिकतम सीमा 60 वर्ष की आयु तक होगी।

11. सभी आवेदकों को दो राजपत्रित अधिकारियों के चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करने है।

अनेक्स्चर -3

Scrutiny Check list for grant of new Authorisation to FPS

Date of Scrutiny/Inspection.		**[dd/mm/yyyy]**
Application No. & date.		**[No.]/[dd/mm/yyyy]**
1.	Applicant Name/father Name and address	**[Name] [Address]**
2.	Birth date of applicant	**[dd/mm/yyyy] [Age]**
3.	Whether the age of the applicant confirms the norms?	[YES/NO]
4.	Name & address of proprietor/partners/directors of the firm in case registered Cooperative Society	**[Name] [Address]**
5.	Status of Ownership etc. of the proposed premises.	Owned/Rented/On lease
6.	Whether the proposed premises is located at the specified	YES/NO
7.	Whether copies of the following uploaded documents are correct in reference to particulars of the application?	Yes No Not applicable
	1. Passport color photo of Applicant. 2. Address proof of applicant (Ration Card/VIC) 3. Identity proof of applicant. 4. Age proof. 5. Educational Qualification certificate along with RSCIT diploma. Such as secondary, higher secondary, graduation certificate/mark sheets. 6. Original Capacity/Hasiyat certificate of minimum Rs.1,00,000 / - issued by the concerned Tehsildar (Not older more than six months) 7. Three blue print copies of map for the proposed shop with the site plan and route plan in the correct measurements. 8. If any Cooperative Society registered under the Rajasthan Cooperative Societies Act, applies for license, bye-laws are required along with Resolution of Board. 9. Certificate of Health Department or Social Welfare Department to Disabled People, Certificate issued by Army to Veerangana, Certificate of Department related to widow and abandoned women, Ex-serviceman certificate for discharge from Army and a copy of the registration certificate of the Employment Exchange will have to be attached. 10. Caste certificate in case of Fair Price Shops of Scheduled Areas of Tribe Sub Plan. 11. Character certificate of two gazetted officers. 12. If any Cooperative Society registered under the Rajasthan Cooperative Societies Act, applies for license, bye-laws are required. 13. Details of storage - the map of the storage site 14. Leej deed/sale deed/Rent Deedof place of business	

	which ever is applicable. 15. Photo of storage place.	
8.	Whether the details furnished in application are correct in material particulars. If, no then details.	YES/NO
9.	Whether the above mentioned documents are valid up-to-date? (wherever relevant)	YES/NO
10.	Whether the applicant/firm has applied for or possessed the licence earlier? If Yes, when and with what results/reasons for cancellation?	YES/NO
11.	Name of proprietor/partners present at the time of Inspection for verification of Proposed Fair Price Shop Premises.	**[Name]**
12.	Whether the proposed premise is located at the specified place?	YES/NO
13.	Whether the proposed premise is located within area specified to FPS in reference of beneficiaries?	YES/NO
14.	Whether the proposed premise is located on 30 feet wide road?	YES/NO
15.	Whether the proposed premise confirms minimum 200 sq. Ft. floor area and has a 10 x10 feet door / shutter for the shop?	YES/NO
16.	Whether the proposed premise is away from aata chakki, Liqour shop and butchery shop?	YES/NO
17.	Whether the proposed premise is located in centre place of distribution area of said FPS?	YES/NO
18.	Whether the map of Storage / godown/ premise is verified by officer?	YES/NO
19.	Whether any proceeding for violation of provisions of Essential commodity Act or orders is pending against the licencee?	YES/NO
20.	Details of defects found in application	……………
21.	Recommendation of scrutiny.	Rejected or Recommended or Apply again after fulfilling the mentioned defects

अनेक्स्चर -4

कार्यालय जिला रसद अधिकारी [District Name]

क्रमांकः [File Name] दिनांकः [DD/MM/YYYY]

विज्ञप्ति दिनांक [DD/MM/YYYY] द्वारा रिक्त एवं नवसृजित उचित मूल्य की दुकानों के लिए प्राप्त आवेदनों के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कार्यक्रम।

साक्षात्कार स्थल का पता [Interview Venue Address]

उचित मूल्य की दुकानों के लिए प्राप्त आवेदनों के पात्र अभ्यर्थियों के चयन हेतु आवंटन सलाहकार समिति में सदस्यों के द्वारा आवेदकों का साक्षात्कार किया जायेगा। जिस हेतु निम्नानुसार रिक्त एवं नवसृजित उचित मूल्य की दुकान के समक्ष साक्षात्कार की तिथि और समय निर्धारित किया जाता है-

शहरी

क्रम संख्या	नाम उपखंड	नाम स्थानीय निकाय	दुकान का वार्ड /दुकान का वितरण केंद्र	नवसृजित /रिक्त	दिनांक	समय
						[10.00 am/2.00 pm]

ग्रामीण

नाम उपखंड	नाम तहसील	नाम ब्लॉक	पंचायत	ग्राम का नाम /दुकान का वितरण केंद्र	नवसृजित /रिक्त	दिनांक	समय
							[10.00 am/2.00 pm]

जिला रसद अधिकारी

[District Name]

अनेक्स्चर - 5

कार्यालय जिला रसद अधिकारी [District Name]

क्रमांकः [File Name] दिनांकः [DD/MM/YYYY]

[Applicant Name]
[Father/Husband Name]
[Address]
[Mobile no.]

द्वारा तामील तहसीलदार [Tehseel Name]

विषयः- उचित मूल्य दुकान आंवटन हेतु साक्षात्कार बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा [रिक्त/नवसृजित] उचित मूल्य दुकान, [स्थान का नाम व पता] के लिए आवेदन किया जाने पर उक्त दुकान आंवटन किये जाने के संबंध में आपका साक्षात्कार दिनांकः [DD/MM/YYYY] को समय [10.00 am/2.00 pm] पर आंवटन सलाहकार समिति के समक्ष रखा गया है।

अतः आप उक्त निर्धारित दिनांक और समय [Interview Venue Address] पर आंवटन सलाहकार समिति के समक्ष आवेदन के साथ अपलोड किये गए दस्तावेजों के मूल प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित होवे ताकि आपके आवेदन पत्र पर विचार किया जा सके। आपके अनुपस्थित रहने अथवा साक्षात्कार के समय आवेदन के साथ अपलोड दस्तावेजों के मूल प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आवेदन निरस्त किया जा सकेगा।

जिला रसद अधिकारी
[District Name]

अनेक्स्चर - 6

कार्यालय जिला रसद अधिकारी [District Name]

क्रमांकः [File Name] दिनांकः
[DD/MM/YYYY]

[Member Name]
[Father/Husband Name]
[Address]
[Mobile no.]

द्वारा तामील तहसीलदार [Tehseel Name]

विषयः- उचित मूल्य दुकान आंवटन हेतु साक्षात्कार बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप [Name of Subdivision] की [शहरी/ग्रामीण] उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहकार समिति में सदस्य है। विज्ञप्ति दिनांक [DD/MM/YYYY] द्वारा रिक्त एवं नवसृजित उचित मूल्य की दुकानों के लिए आवेदन लिए गए है।

रिक्तियों के संबंध में विभागीय पत्र क्रमांक एफ. 17(1)खा.वि./विधि/08 दिनांक 17.03.2016 और समय-समय पर जारी संशोधन आदेश 06.04.2016, 26.04.2016, 22.07.2016, 04.07.2017, 26.09.2017, 28.09.2018, 29.07.2019, 14.11.2019 और 26.12.2019 के द्वारा जारी उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के दिशा-निर्देशों में वर्णित चयन प्रक्रियानुसार कार्यवाही की जायेगी। उक्त आदेशों के संबंध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट food.rajasthan.gov.in पर तथा संबंधित जिला रसद कार्यालयों में अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

आवेदकों के चयन हेतु साक्षात्कार की तिथियां निर्धारित कर दी गयी है और चयन प्रक्रिया के अंतर्गत आपकी उपस्थिति आवश्यक है। साक्षात्कार की तिथियों का कार्यक्रम संलग्न प्रेषित है। अत: आपके क्षेत्र से सम्बंधित रिक्त दुकानों के क्रम में प्राप्त आवेदनों के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार के लिए [Interview Venue Address] में निर्धारित दिनांक/समय पर उपस्थित होने का श्रम करें। आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा पात्र व्यक्ति/संस्था का चयन निर्धारित प्राथिमकता से बहुमत के आधार पर किया जायेगा जिसमें जिला कलक्टर का निर्णय अन्तिम होगा। ध्यान रखें कि उचित मूल्य दुकानों के आवेदकों में आपके परिवार का कोई सदस्य साक्षात्कार के लिए पात्र है, तो आप उस परिवार के सदस्य के चयन के लिए आयोजित साक्षात्कार समिति की बैठक में भाग नहीं ले सकेंगे।

संलग्न – साक्षात्कार कार्यक्रम।

जिला रसद अधिकारी
[District Name]

अनेक्स्चर – 7

कार्यालय जिला रसद अधिकारी [District Name]

क्रमांकः [File Name] दिनांकः

<u>आदेश</u>

विज्ञप्ति दिनांक [DD/MM/YYYY] द्वारा रिक्त एवं नवसृजित उचित मूल्य की दुकानों के लिए प्राप्त आवेदनों पर आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों की अभिशंसा के बहुमत के आधार निम्न आवेदकों को राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खंड 3 के अंतर्गत प्राधिकार पत्र जारी करने की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन दी जाती है कि चयनित अभ्यर्थी -

1. आदेश, 1976 के उपबन्धों के सम्यक् अनुपालन के लिए प्रतिभूति के रूप में 1000/- रूपये का निक्षेप चयन आदेश जारी होने की दिनांक से अधिकतम 15 दिवस में करेगा। परन्तु सहकारी सोसाइटी के मामले में निक्षिप्त की जाने वाली प्रतिभूति की रकम ऊपर वर्णित रकम के एक चौथाई के बराबर होगी। प्रतिभूती जमा कराये जाने का बजट शीर्षक मद 8443-सिविल जमा, 101-राजस्व जमा (ख) गैरकाज है।
2. आवेदन के समय अपलोड किये गए दस्तावेजों के सत्यापन और मिलान के लिए मूल दस्तावेज जिला रसद कार्यालय में प्रस्तुत करेगा और स्वप्रमाणित करेगा।
3. प्रस्तावित दुकान के साईट मैप के सत्यापन के लिए प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक को निरीक्षण चयन आदेश जारी होने की दिनांक से अधिकतम 07 दिवस में कराएगा और अनुमोदित कराएगा।
4. यदि आवेदक कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो तो इस आदेश के जारी होने की 08 माह की अवधि में कम्प्यूटर में Rajasthan Knowledge Corporation Limited (RKCL) या अन्य समकक्ष सरकारी संस्थान का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करेगा।

शहरी

क्रम संख्या	नाम उपखंड	नाम स्थानीय निकाय	दुकान का वार्ड /दुकान का वितरण केंद्र	नवसृजित /रिक्त	चयनित आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम और पता

ग्रामीण

क्रम संख्या	नाम उपखंड	नाम तहसील	नाम ब्लॉक	पंचायत	ग्राम का नाम /दुकान का वितरण केंद्र	नवसृजित /रिक्त	चयनित आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम और पता

जिला रसद अधिकारी
[District Name]

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. शासन सचिव महोदय, खाद्य विभाग राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त खाद्य आयुक्त महोदय, खाद्य विभाग, सचिवालय, जयपुर।
4. माननीय जिला प्रमुख, जिला परिषद.........।
5. संभागीय आयुक्त, ...।
6. जिला रसद अधिकारी, ...।
7. जन सम्पर्क अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. जिला जन संपर्क अधिकारी, जिला ....।
9. प्रोग्रामर डीओआईटी, जिला कलेक्ट्रेट .... को कलेक्ट्रेट की वेब साईट पर अपलोड के लिए।
10. प्रोग्रामर डीओआईटी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर को की वेब साईट पर अपलोड के लिए।
11. समस्त उपखंड अधिकारी, जिला .... को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने के लिए।
12. समस्त विकास अधिकारी, जिला .... को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने के लिए।
13. समस्त प्रवर्तन स्टॉफ कार्यालय हाजा।
14. उक्त चयनित सभी अभ्यर्थी।

जिला रसद अधिकारी

[District Name]

अनेक्स्चर – 8

आवेदक का पासपोर्ट साइज़ हस्ताक्षरयुक्त फोटो

प्ररूप 'ख'

(खण्ड 3 (4) देखिये)

राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976

प्राधिकृत थोक विक्रेता/प्राधिकृत उचित कीमत दुकानदार के रूप में खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक पदार्थों के क्रय, विक्रय के लिए भण्डारकरण के लिए प्राधिकार।

प्राधिकार संख्या ....

राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के उपबन्धों एवं नीचे दी गई शर्तों के अध्यधीन रहते हुए [Name] [Father's/husband's Name] निवासी [Address of Home] को एतद्द्वारा नीचे विनिर्दिष्ट स्थान, परिसरों/गोदामों पर प्राधिकृत थोक विक्रेता/प्राधिकृत उचित कीमत दुकानदार के रूप में प्राधिकृत किया जाता है/किये जाते हैं।

(i) कारबार परिसर [Address of Shop]

(ii) वितरण के प्रयोजनार्थ आवंटित क्षेत्र [Description of Shop]

(iii) गोदामों की विशिष्टियां [Address of Shop]

निबन्धन एवं शर्तें

सामान्य

1. कोई भी प्राधिकार धारक कलक्टर की लिखित में पूर्व अनुज्ञा के बिना इस प्राधिकार में विनिर्दिष्ट स्थानों के अतिरिक्त किसी भी अन्य स्थान पर खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का भण्डारकरण नहीं करेगा।
2. कोई भी प्राधिकार धारक कारबार के समय के दौरान उसे विधिमान्य अनुज्ञापत्र/मांग-पत्र/राशनकार्ड प्रस्तुत करने पर अनुज्ञा-पत्र/मांग-पत्र/राशनकार्ड खाद्यान्नों या अन्य आवश्यक पदार्थों पर की बकाया सीमा तक खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ का विक्रय करने से इन्कार नहीं करेगा।
3. कोई भी प्राधिकार धारक खाद्यान्नों का विक्रय, उस कीमत से अधिक कीमत पर नहीं करेगा, जो राज्य सरकार या कलक्टर द्वारा नियत की गई है या किन्हीं भी अन्य आवश्यक पदार्थों का विक्रय उस कीमत से अधिक कीमत पर नहीं करेगा, जो केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या ऐसी सरकार के किसी भी प्राधिकारी या अधिकारी या विनिर्माता, यथास्थिति द्वारा इस निमित्त नियत की जायें।
4. कोई भी प्राधिकार धारक खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के समरूप किन्हीं भी वस्तुओं का विक्रय या विक्रय के लिए स्टॉक का धारण, राज्य सरकार या कलक्टर की अनुज्ञा के सिवाय नहीं करेगा।
5. प्राधिकार धारक प्ररूप 'ग' में एक स्टॉक रजिस्टर रखेगा, जिसमें प्रत्येक खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं की प्रतिदिन होने वाली प्राप्ति और विक्रय को सही-सही रूप में दिखाया जायेगा। अधिकृत थोक विक्रेता द्वारा प्ररूप 'घ' में और प्राधिकृत उचित कीमत दुकानदार द्वारा प्ररूप 'ङ' में भी एक दैनिक विक्रय रजिस्टर रखा जायेगा। अनुज्ञप्तियाँ, वाऊचर आदि लेखे संबंधी समस्त पुस्तकें प्राधिकार में विनिर्दिष्ट कारबार स्थान पर रखीं जायेगी और आवश्यकता पडने पर उन्हें निरीक्षण के लिए उपलब्ध करना होगा।
6. प्रत्येक प्राधिकार धारक प्ररूप 'च' में स्टॉक और विक्रय की सही मासिक विवरणी कलक्टर को भेजेगा, जो जिस माह से वह संबंधित है, उसके समाप्त होने के पश्चात् पांच दिन के भीतर उसके पास पहुंच जाये।
7. प्रत्येक प्राधिकार धारक अपने कारबार संबंधी ऐसी कोई सूचना, जो कलक्टर उससे मांगे, सही-सही रूप में प्रस्तुत करेगा।

8. प्राधिकार धारक उचित कीमत की दुकान के मार्फत वितरण किये जाने वाले खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमत की सुपाठ्य रूप से हिन्दी में लिखी हुई एक सूची तथा स्टॉक प्ररूप 'ज' में अपने कारबार परिसर के किसी एक ऐसे सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा, जो कार्ड धारकों को आसानी से दिखाई दे सकें।

9. प्रत्येक प्राधिकार धारक कलक्टर द्वारा नियत कारबार के घण्टों का कडाई से पालन करेगा और अपनी दुकान, स्थान या कारबार को ऐसे घण्टों के दौरान ठीक समय पर और नियमित रूप से खोलेगा।

10. प्रत्येक प्राधिकार धारक खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक वस्तुओं के विक्रय/भण्डारकरण के लिये उपयोग में लाये जाने वाले किसी स्थान या परिसर पर अपने स्टॉक और लेखों के निरीक्षणार्थ युक्तियुक्त समय पर समस्त सुविधाएँ उपलब्ध करायेगा।

11. प्राधिकार धारक, राज्य सरकार या कलक्टर द्वारा उसे प्रदाय के स्त्रोत, कमीशन, भण्डारकरण, संचलन, मूल्य निक्षेप, खाली बोरियों, तोल-जोख तथा खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति, विक्रय, भण्डारकरण आदि से संबंधित मामलों के संबंध में दिये जाने वाले निर्देशों या अनुदेशों का पालन करेगा।

12. प्राधिकार धारक खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक वस्तुओं को अच्छी हालत में रखने का जिम्मेवार होगा और किसी अन्य घटिया किस्म के साथ अपमिश्रित नहीं करेगा।

13. प्राधिकार धारक को किसी वस्तु आदेश पर कतिपय परिमाण तक खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक वस्तुओं का किया गया कोई आवंटन उसे यह अधिकार प्रदान नहीं करेगा कि वह ऐसी मात्रा में ऐसे आवंटन को चालू रखने का दावा कर सके और कलक्टर को यह अधिकार होगा कि वह स्वविवेक से, बिना कोई कारण बताये कोई आवंटन रद्द कर सके या उसमें फेरफार कर सके तथा प्राधिकार धारक आवंटन के ऐसे रद्दकरण या उसमें फेरफार के लिये किसी नुकसानी या प्रतिकार का दावा सरकार से करने का हकदार नहीं होगा।

प्राधिकृत उचित कीमत दुकानदार के लिये विशेष शर्तें

14. प्राधिकृत उचित कीमत दुकानदार, सरकार द्वारा समय-समय पर प्रदाय किये गये खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक वस्तुओं का विक्रय सीधे ही कलक्टर द्वारा जारी विशेष अनुज्ञप्ति धारक व्यक्तियों को तथा केवल उन उपभोक्ताओं को करेगा, जिनके राशनकार्ड उसकी दुकान पर यूनिट रजिस्टर प्ररूप 'छ' में दर्ज कर लिये गये हों।

15. प्राधिकृत उचित कीमत दुकानदार, राशनकार्ड धारक द्वारा खरीदे गये खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की मात्रा ऐसी खरीद की तारीख के साथ राशनकार्ड में निर्धारित स्थान पर अभिलिखित करेगा।

16. कोई भी प्राधिकृत उचित कीमत दुकानदार स्वयं के राशनकार्ड के अलावा अन्य किसी व्यक्ति का राशनकार्ड अपने कब्जे में नहीं रखेगा, उस समय के सिवाय, जबकि राशनकार्ड खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक वस्तुओं के सुविधापूर्वक वितरण के लिये किसी दिये गये समय पर दुकान पर वास्तव में उपस्थित व्यक्तियों से सम्यक् रूप से एकत्रित किये जायें।

17. कोई भी प्राधिकृत उचित कीमत दुकानदार-
    (क) किसी को भी जाली या अप्राधिकृत राशनकार्ड तैयार करने या प्राप्त करने में सहायक नहीं होगा, या
    (ख) किसी भी जाली या अप्राधिकृत राशनकार्ड का उपयोग नहीं करेगा या उसे प्राप्त नहीं करेगा, या
    (ग) अभिलेखों में झूठी प्रविष्टियाँ करके कोई खाद्यान्न या आवश्यक वस्तुयें नहीं उठायेगा या प्राप्त नहीं करेगा।

18. कोई प्राधिकार धारक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियन्त्रण) आदेश, 2001 में उपबंधित उचित कीमत दुकानदार के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों से संबंधित उपबन्धों का उल्लंघन नहीं करेगा। यह उसके कर्तव्य में सम्मिलित होगा कि उचित मूल्य की दुकान के कार्यकरण के बारे में उक्त आदेश से उपाध्द प्ररूप "क" में रिपोर्ट प्रस्तुत करें, ताकि वह संबंधित जिला रसद अधिकारी को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक प्राप्त हो जायें।

दिनांक [DD/MM/YYYY]

स्थान [District Name]

नाम [Name]
हस्ताक्षर जिला कलक्टर
[District Name]

अनेक्स्चर – 9

कार्यालय जिला रसद अधिकारी [District Name]

प्राधिकार पत्र संख्या ....

नाम प्राधिकृत उचित मूल्य दुकानदार ....
नाम पिता ....
नाम माता ....
निवास का पता ....
उचित मूल्य दुकान का पता ....
वितरण क्षेत्र.......................................

आवेदक का पासपोर्ट साइज़ हस्ताक्षरयुक्त फोटो

दुकानदार के हस्ताक्षरों का नमूना

....

जिला रसद अधिकारी
[District Name]